राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.14(1)एम.ई./ग्रुप–1 2020 जयपुर, दिनांक 22 JUN 2023

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एज्यूकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 19.06.2023 को आयोजित बैठक में सम्यक परीक्षण उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्क संरचना राशि रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष (विकास शुल्क सहित) निम्नानुसार वर्षवार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है–

पाठ्यक्रम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26
डी.फार्मा	66200/-	69500/-	72300/-
बी.फार्मा	103000/-	108000/-	113000/-
एम.फार्मा	125000/-	125000/-	125000/-

1. उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास तथा परिवहन शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।
2. मैस एवं बिजली आपूर्ति हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गई राशि छात्रों से अंशदान के आधार पर ली जाएगी।
3. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जाएगी जो कोर्स पूरा करने पर वापिस की जाएगी।
4. छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
5. कॉलेज द्वारा उपर्युक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क यथा डोनेशन, विकास, लैबोरेटरी, अस्पताल, लाइब्रेरी या अन्य किसी भी रूप में कोई शुल्क औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से छात्रों से वसूल नहीं की जाएगी। कॉलेज यदि उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क/राशि वसूल करते है, तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. उक्त नवीन शुल्क व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023–24 से नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगी।

आज्ञा से

22/06/23.

(अंजू राजपाल)

संयुक्त शासन सचिव